

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर मुजफ्फरनगर।

घास सं०-७६/०९-१०

गौजा-तावली

परियम एजूकेशन सोसाइटी आदि

बनाम

अन्तर्गत धारा-१४३ ज०वि०अधि०

परगना- तपरा

सरकार

आदेश - दिनांक १०-५-२०१०

परियम एजूकेशन सोसाइटी डी/सी-१७ ईस्ट एण्ड आफें अन्सल ट्रानिका सिटी लोनी गाजियाबाद द्वारा सचिव श्रीमती निशा चौधरी पत्नी चैयरमैन लुकगान अली निवारी डी/सी-१७ ईस्ट एण्ड आफें अन्सल ट्रानिका सिटी लोनी गाजियाबाद व कोषाध्यक्ष डा० अनिल सक्सेना पुत्र शिवप्रसाद सक्सेना निवासी लवकुश हॉस्पिटल करावल नगर नई दिल्ली-९४ ने अपनी भूमि स्थित ग्राम तावली तहसील व जिला मु०नगर खाता संख्या-१६१ के खसरा नम्बर-२५७म रकबा ०.८२०० है० लगान ४०.४९ रुपये पर कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक उद्घोषित किये जाने हेतु अभ्यर्थना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं संस्तुति दिनांक ०५-०५-२०१० प्राप्त हुई। जिसके अवलोकन से विदित है कि ग्राम तावली स्थित भूमि खाता संख्या-१६१ के खसरा नम्बर-२५७म रकबा ०.८२०० है० लगान ४०.४९ रुपये पर अभिलेखों में प्रार्थीगण का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य बन्द कर दिया गया है, तथा स्कूल के प्रयोजनार्थ प्रस्तावित हैं। मोकें पर भूमि खाली है। उक्त भूमि पर भविष्य में कृषि कार्य की संभावना नहीं है। उक्त भूमि विकास प्राधिकरण में प्रस्तावित नहीं है। उक्त भूमि को धारा १४३ ज०वि०अधि० के अन्तर्गत अकृषिक उद्घोषित करने की संस्तुति की गयी है। तहसीलदार सदर के द्वारा अपनी आख्या के साथ हाल खतौनी, जोत चक० आकार पत्र ४१ व ४५ की सत्य प्रतिलिपि तथा नियम १३५ की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी है। जिसमें प्रश्नगत क्षेत्रफल पर कृषि कार्य न किये जाने का उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत भूमि विकास प्राधिकरण में प्रस्तावित भूमि नहीं है।

मैंने पत्रावली एवं उपलब्ध भू अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे विदित है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है और उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। यह भूमि वर्तमान में कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य में प्रयोग नहीं हो रही है। पत्रावली पर उपलब्ध जोत चकबन्दी आकार पत्र ४१ व ४५ एवं तहसील आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि को जमींदारी विनाश अधि० की धारा १४३ के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार सदर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक ०५-०५-२०१० के आधार पर ग्राम तावली स्थित भूमि खाता संख्या १६१ के खसरा नम्बर-२५७म रकबा ०.८२०० है० लगान ४०.४९ रुपये को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १४३ के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हों। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक तहसील सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद दर्ज कर पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक-०५-०५-२०१०

(Signature)


(सन्त कुमार)
उप जिलाधिकारी सदर
मुजफ्फरनगर।



नकल कर्ता.....*PS*
तुलना कर्ता/जांचकर्ता.....*PS*
जारी कर्ता.....*PS*
शब्द.....*254 600*
प्रा० पत्र का दिनांक.....*3-12-2022*
नोटिस का दिनांक.....*17-12-22*
जारी का दिनांक.....*30-12-2022*
स्वाम्य.....*137*

Lubair
Principal
Aman College of Pharmacy
Tawli, Muzaffarnagar

सत्य प्रतिलिपि
(Signature)
राजस्व अभिलेखागार, मुजफ्फरनगर



04/13

Zubair
Principal
Aman College of Pharmacy
Tawli, Muzaffarnagar

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर जिला मुजफ्फरनगर।

वाद सं: टी 20170955301363/2017

धारा 80 उ०प्र० राजस्व संहिता-2006

ग्राम-तावली

परगना-बधरा

भरियम एजुकेशनल सोसायटी बनाम

सरकार

द्वारा सचिव निशा चौधरी

दिनांक 21.02.2017

गलत आदेश

पत्रावली प्रस्तुत। तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 16.02.2017 का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त ग्राम तावली परगना बधरा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर स्थित भूमि खाता संख्या-182 के खसरा नम्बर-257/1 रकबाई 3.258 है 0 लगान 161.40 रुपए सालाना का कुल हक व हिस्सा 615/3258 यानि 0.615 है 0 लगान 30.41 रुपए को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। पत्रावली वाद पूर्ति अभिलेखागार संचित की जाए।






(राम अवतार गुप्ता)
उप जिलाधिकारी सदर
मुजफ्फरनगर

Zubair
Principal
Aman College of Pharmacy
Tawli, Muzaffarnagar

नकल कर्ता..... P.S.
तुलना कर्ता/जांचकर्ता.....
जारी कर्ता.....
शब्द..... 254 150
प्र० पत्र का दिनांक..... 21-2-2022
नोटिस का दिनांक..... 19-12-2022
जारी का दिनांक..... 20-12-2022
संख्या..... 137

सत्य प्रतिलिपि
राजस्व अभिलेखापाल, राजस्व सुरक्षालय
कलेक्ट्रेट, मुजफ्फरनगर



04
13

Zubein
Principal
Aman College of Pharmacy
Tawli, Muzaffarnagar